

कमिश्नर वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश

उपस्थित:- श्री अनिल संत कमिश्नर वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश ।
प्रार्थी :- सर्वश्री एस0ई0एस0टेक्नोलाजीस लि0, 54 बी प्रागनरायन रोड, लखनऊ ।
प्रा0प0सं0- 387/2008
प्रार्थी की ओर से- श्री डी0वी0शुक्ला, अधिवक्ता ।

उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 की धारा-59 के अन्तर्गत निर्णय

1- प्रार्थी के द्वारा दिनांक 17-10-08 को उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 की धारा-59 के अन्तर्गत एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है जिसमें व्यापारी द्वारा निम्नलिखित प्रश्नों पर पर कर की दर की जानकारी चाही गयी है:-

- 1- That the tax liable to pay by the applicant is on purchase value or on the sale value ?
- 2- Shall we realize the tax from tax invoice or sale invoice ?
- 3- Whether the tax should be reflect on tax invoice or sale invoice ?
- 4- As per annexure I what goods are liable to be tax under the entry of the goods into local area Act.

व्यापारी द्वारा अपने प्रार्थना पत्र के साथ कोई एनेक्चर संलग्न नहीं किये गये हैं।

2- व्यापारी के प्रार्थना पत्र पर एडिशनल कमिश्नर ग्रेड-। वाणिज्य कर, लखनऊ जोन, लखनऊ ने अपने पत्र संख्या-2700 दिनांक 18-11-2008 से आख्या प्रेषित की गयी है।

3- धारा-59 के प्रार्थना पत्र पर सुनवाई हेतु श्री डी0वी0शुक्ला, अधिवक्ता उपस्थित हुये और उनके द्वारा प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराया गया ।

4- मेरे द्वारा व्यापारी के धारा-59 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र, प्राप्त आख्या, तथा विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत तर्कों का परिशीलन किया गया और पाया गया कि व्यापारी ने अपने प्रार्थना पत्र के साथ एनेक्चर संलग्न नहीं किया है। जब कि एनेक्सर-। के अनुसार उपर्युक्त वस्तुओं पर कर की दर की जानकारी चाही गयी है । अतः व्यापारी द्वारा प्रस्तुत धारा-59 का प्रार्थना पत्र पूर्ण न होने की स्थिति में अस्वीकार किया जाता है।

5- इस निर्णय की एक प्रति प्रार्थी को, एक प्रति सम्बन्धित कर निर्धारक अधिकारी को तथा एक प्रति वैव साइट में डालने हेतु भेजी जाय।

दिनांक:: 10 फरवरी, 2009

ह0/10-2-09
(अनिल संत)
कमिश्नर वाणिज्य कर,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।